रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042024-253615 CG-DL-E-09042024-253615

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] No. 237] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2024/चैत्र 16, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2024/CHAITRA 16, 1946

क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2024

सं. बी/आरआर/2023-रिम्स.—क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल, मणिपुर की विधिसंहिता के नियम 3 (ii) के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुपालन में तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र सं. U-12015/57/2022-NE-part (2) दिनांक 23-08-2023, से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल सोसाइटी की कार्य परिषद के अध्यक्ष एतदद्वारा क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल के निमित, मुख्य परिचर्या अधिकारी की नियुक्ति संबंधित अधोलिखित नियमों-प्रविधियों को निर्मित करते हैं।

1. संक<u>्षिप्त शीर्षक और आरंभ</u> –

- (i) इन नियमों को मुख्य परिचर्या अधिकारी (समूह 'ए' पद) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल नियुक्ति नियम 2023 कहा जाएगा।
- (ii) ये नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशन के उपरांत लागू माने जाएंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर प्रविधि अथवा नियुक्ति इत्यादि उपर्युक्त पदों के संदर्भ में वर्गीकरण, पे- मैट्रिक्स में वेतन स्तर, नियुक्ति की प्रविधि तथा इससे संबंधित अन्य संलग्न अनुसूचित (2) से (4) कॉलम में वर्णित के अनुसार होंगे।
- 3. नियुक्ति प्रविधि, आयु सीमा, योग्यता आदि- उपर्युक्त पद से संबंधित नियुक्ति प्रविधि, आयु सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

2424 GI/2024 (1)

- 4. अनर्हता : कोई भी व्यक्ति -
- (क) जिसने एक जीवित पति/ पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह किया हो अथवा
- (ख) जिसने एक जीवित पति/पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह किया हो वह उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होगा।

बशर्ते की केंद्रीय सरकार, इस बात से आश्वस्त हो कि उपर्युक्त विवाह उस व्यक्ति तथा दूसरी पार्टी पर लागू होने वाले वैयक्तिक नियम के अनुसार अनुमन्य हो तथा ऐसा करने के पीछे अन्य दूसरे भी आधार हो जिसके आधार पर उस व्यक्ति को उपर्युक्त नियम से मुक्त किया जा सके।

- 5. <u>छूट की शक्ति</u> : केंद्रीय सरकार, इस राय में हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा त्वरित है वे लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए उपर्युक्त नियम में निहित किन्हीं प्राविधानों को किसी वर्ग अथवा कोटि या पद के संदर्भ में शिथिल कर सकते हैं।
- 6. <u>संरक्षात्मक उपबंध</u> : इन नियमों के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नही होगा जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा भूतपूर्व सेवारत तथा विशिष्ट कोटि के व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार आरक्षण, आयुसीमा में छूट तथा अन्य छूट प्रदान किए गए होंगे।

अध्यक्ष के आदेश तथा उनके नाम पर प्रो गुरुअरिबम सुनील कुमार शर्मा, निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./006/2024-25]

अनुसूची

1	पद का नाम	मुख्य परिचर्या अधिकारी
2	पदों की संख्या	01* (2023)
		*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	समूह 'ए'
4	वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स का वेतन लेवल- 12
5	चयन पद अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7	सीधी नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अन्य योग्यताएं	लागू नहीं
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
10	नियुक्ति की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति में स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न प्रविधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति न होने पर (सामान्य तौर पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)
11	प्रोन्नति/ स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति ग्रेड के मामले में किससे प्रोन्नति स्थानांतरण माना जाए	प्रोन्निति: संस्थान के परिचर्या अधीक्षक ग्रेड में पे- मैट्रिक्स स्तर- 11 में पाँच वर्षों की निमित सेवा
		प्रितिनियुक्ति: केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ संघ शासित क्षेत्र/ स्वायत्त संगठन/ सांविधिक निकाय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/

		विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त शोध संस्थान
		क.
		 निमित रूप से मातृ केडर/ विभाग में समतुल्य पद धारित करने वाले
		 मातृ केडर विभाग में पाँच वर्षों की पे- मैट्रिक्स स्तर 11 में निमित सेवा
		ख. निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता अर्जित की हों -
		1. भारतीय परिचर्या परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से बी.एस-सी परिचर्या
		2. भारतीय परिचर्या परिषद/ राज्य परिचर्या परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
		3. पेशे में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें से पाँच वर्ष परिचर्या अधीक्षक के रूप में या परिचर्या प्रशासन में एम.एस-सी करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
		नोट: सामान्य तौर पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि पाँच वर्ष होगी। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त की आयु छप्पन वर्ष होगी।
12	यदि विभागीयप्रोन्नति समिति गठित है तो उसका संगठन	प्रतिनियुक्तिः
		1. स्वास्थ्य सेवा, भारत सरकार के सामान्य निदेशक -अध्यक्ष
		·
		-अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में संस्थान संबंधी मामलों की देखभाल करने वाले संयुक्त
		-अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में संस्थान संबंधी मामलों की देखभाल करने वाले संयुक्त सचिव - सदस्य 3. कार्य परिषद का एक सदस्य रिम्स सोसाइटी, इंफाल
		-अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में संस्थान संबंधी मामलों की देखभाल करने वाले संयुक्त सचिव - सदस्य 3. कार्य परिषद का एक सदस्य रिम्स सोसाइटी, इंफाल (चक्रानुक्रम से) - सदस्य 4. संस्थान से बाहर का विषय से संबंधित कोई एक विशेषज्ञ
		-अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में संस्थान संबंधी मामलों की देखभाल करने वाले संयुक्त सचिव - सदस्य 3. कार्य परिषद का एक सदस्य रिम्स सोसाइटी, इंफाल (चक्रानुक्रम से) - सदस्य 4. संस्थान से बाहर का विषय से संबंधित कोई एक विशेषज्ञ - सदस्य
		-अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में संस्थान संबंधी मामलों की देखभाल करने वाले संयुक्त सचिव - सदस्य 3. कार्य परिषद का एक सदस्य रिम्स सोसाइटी, इंफाल (चक्रानुक्रम से) - सदस्य 4. संस्थान से बाहर का विषय से संबंधित कोई एक विशेषज्ञ - सदस्य 5. निदेशक, रिम्स, इंफाल - सदस्य सचिव
		-अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में संस्थान संबंधी मामलों की देखभाल करने वाले संयुक्त सचिव - सदस्य 3. कार्य परिषद का एक सदस्य रिम्स सोसाइटी, इंफाल (चक्रानुक्रम से) - सदस्य 4. संस्थान से बाहर का विषय से संबंधित कोई एक विशेषज्ञ - सदस्य 5. निदेशक, रिम्स, इंफाल - सदस्य सचिव प्रोन्नित:
		-अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में संस्थान संबंधी मामलों की देखभाल करने वाले संयुक्त सचिव - सदस्य 3. कार्य परिषद का एक सदस्य रिम्स सोसाइटी, इंफाल (चक्रानुक्रम से) - सदस्य 4. संस्थान से बाहर का विषय से संबंधित कोई एक विशेषज्ञ - सदस्य 5. निदेशक, रिम्स, इंफाल - सदस्य सचिव प्रोन्नित: 1. निदेशक, रिम्स, इंफाल - अध्यक्ष 2. मणिपुर सरकार के निदेशक (स्वास्थ्य), अथवा उनके
		-अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में संस्थान संबंधी मामलों की देखभाल करने वाले संयुक्त सचिव - सदस्य 3. कार्य परिषद का एक सदस्य रिम्स सोसाइटी, इंफाल (चक्रानुक्रम से) - सदस्य 4. संस्थान से बाहर का विषय से संबंधित कोई एक विशेषज्ञ - सदस्य 5. निदेशक, रिम्स, इंफाल - सदस्य सचिव प्रोन्नित: 1. निदेशक, रिम्स, इंफाल - अध्यक्ष 2. मणिपुर सरकार के निदेशक (स्वास्थ्य), अथवा उनके नामिती जोकि संयुक्त निदेशक स्तर से नीचे न हों - सदस्य
13	नियुक्ति निर्मित में किन परिस्थितियों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श।	-अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में संस्थान संबंधी मामलों की देखभाल करने वाले संयुक्त सचिव - सदस्य 3. कार्य परिषद का एक सदस्य रिम्स सोसाइटी, इंफाल (चक्रानुक्रम से) - सदस्य 4. संस्थान से बाहर का विषय से संबंधित कोई एक विशेषज्ञ - सदस्य 5. निदेशक, रिम्स, इंफाल - सदस्य सचिव प्रोन्नति: 1. निदेशक, रिम्स, इंफाल - अध्यक्ष 2. मणिपुर सरकार के निदेशक (स्वास्थ्य), अथवा उनके नामिती जोकि संयुक्त निदेशक स्तर से नीचे न हों - सदस्य 3. कार्य परिषद का एक सदस्य - सदस्य

REGIONAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, IMPHAL NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2024.

No. B/RR/2023-RIMS.—In exercise of the powers conferred under Rule 3(ii) of the Bye-Laws of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, Manipur and in pursuance of the approval of the Ministry of Health & Family Welfare conveyed vide letter No. U-12015/57/2022-NE-Part (2) dated 23-08-2023, the Chairman, Executive Council, Society of Regional Institute of Medical Sciences, Imphal hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Nursing Officer in Regional Institute of Medical Sciences, Imphal.

1. Short title and commencement.-

- (i) These rules may be called the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, Chief Nursing Officer (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2023.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in pay matrix- The number of the said post, its classification and level in pay matrix, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age Limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.- No Person,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. <u>Power to relax</u>. where the central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. <u>Saving.</u> Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

By Orders and in Name of Chairman Prof. GURUARIBAM SUNIL KUMAR SHARMA, Director [ADVT.-III/4/Exty./006/2024-25]

SCHEDULE

1	Name of post	Chief Nursing Officer
2	Number of post	01* (2023)
		*Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Group 'A'
4	Level in the Pay Matrix	Level – 12 of Pay Matrix
5	Whether Selection post or non-	Not Applicable
	selection post	
6	Age limit for direct recruits	Not Applicable
7	Educational and other qualifications	Not Applicable
	required for direct recruits	
8	Whether age and educational	Not Applicable
	qualifications prescribed for direct	
	recruits will apply in case of	
	promotees	
9	Period of probation, if any	Not Applicable
10	Method of recruitment whether by	By Promotion failing which Deputation (Including Short Term
	direct recruitment or by promotion	Contract (ISTC))

	or by deputation/ absorption and	
	percentage of vacancies to be filled	
	by various methods	
11	In case of promotion by recruitment	Promotion: Nursing Superintendent of the Institute in Level – 11 in
	by promotion/deputation/ absorption	the Pay Matrix with 05 years regular service in the Grade.
	to be made	
		Deputation: Officers of the Central Government/ State Governments/
		Union Territories/ Autonomous Organizations/Statutory
		bodies/ Public Sector Undertaking/University/ Recognized Research
		Institution:
		A.
		1. Holding analogous post on a regular basis in the parent
		cadre/department; or
		2. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a
		regular basis in Level 11 of the Pay Matrix or equivalent in the parent
		cadre department and
		B. 1
		Possessing the following educational qualification:
		1. B.Sc. Nursing from an Indian Nursing Council recognized
		Institute/University.
		2. Should be registered with the Indian Nursing Council / State
		Nursing Council.
		3. Not less than 15 years experience in the profession out of which 5
		years should be as Nursing Superintendent or in similar capacity in
		Nursing Administration. Preference shall be given to those possessing
		M.Sc. In Nursing.
		Note:
		The Period of deputation (1STC) shall ordinarily not exceed 5 years.
		The maximum age limit for, appointment on deputation (ISTC) shall
		not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of
		application.
12	If a Departmental Promotion	For Deputation:
12	Committee/ Selection Committee	1. Director General of Health Services, Govt. of India — Chairman
	exists what is its composition	2. The Joint Secretary looking after the affairs of the institute in the
	emate what is no composition	Ministry of Health & Family Welfare, Govt of India — Member
		3. One member of the Executive Council Society of RIMS, Imphal (by
		rotation) — Member
		4. One expert in the concerned subject from outside the institute
		– Member
		5. The Director, RIMS, Imphal – Member Secretary
		3. The Bheetot, Rivis, Imphai
		Promotion:
		1. Director, RIMS, Imphal – Chairman
		2. Director (Health), Government of Manipur or its nominee not below
		the rank of Joint Director - Member
		3. One member of the Executive Council — Member
		4. Medical Superintendent, RIMS Hospital, Imphal – Member
13	Circumstances in which Union	Not applicable
	Public Service Commission to be	1.01 approace
	consulted in making recruitment	
	companied in making recruitment	